Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में नगरपालिका आमेट का कम्प्यूटर ऑपरेटर 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 मई, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा आज देर रात कार्यवाही करते हुये उमेश मेवाड़ा कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत प्रथम किश्त 30 हजार रुपये के पश्चात दूसरी किश्त में अड़चन पैदा नहीं करने की एवज में उमेश मेवाड़ा कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) एवं दीपक मेवाड़ा कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम किश्त के 50 प्रतिशत कमीशन के रूप में 15 **हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी के काफी अनुनय विनय के पश्चात आरोपीगण 8 **हजार रुपये** रिश्वत लेने पर राजी हुये हैं।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी राजसमंद इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के नेतृत्व में आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये उमेश मेवाड़ा पुत्र श्री कैलाश मेवाड़ा निवासी शनि मंदिर के पास, मारू दरवाजा के बाहर, कस्बा आमेट जिला राजसमंद हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक मेवाड़ा कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।